न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 23/2010

उनवान

(1) मनजीपुत्र स्व. श्री भीखा जाति भील निवासी डडूका तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(2) नानु पुत्र स्व. श्री भीखा जाति भील निवासी डडूका तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(3) वेलजी पुत्र स्व. श्री भीखा जाति भील निवासी डडूका तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(4) कन्हैयालाल पुत्र स्व. श्री भीखा जाति भील निवासी डडूका तह. गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: वादीगण

बनाम

(1) मृतका श्रीमती केसर पत्नि स्व. श्री नाथू जाति भील के वारिसानः—
1/1. हरीशंकर पिता धूलजी जाति आदिवासी निवासी डडूका तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(2) विरेन्द्र कुमार अहारी पुत्र हरिशंकर जाति भील निवासी डडूका तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(3) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—:प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः [illegible] .|o.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:58 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के पिता व पति स्व0 श्री [illegible] पुत्र श्री हीरा के कब्जे काश्त के खाता संख्या 215 के खसरा नम्बरान 1382, 18[illegible], 18[illegible], 1882, 1883, 1884, 3142, 3146, 3147, 3149, 3172, 3173, 3431, 3438, 34[illegible], 3471 कुल खेत 16 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम डडूका पटवार क्षेत्र डडूका तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा में स्थित है जिसके सेटलमेन्टी रेकार्ड में वादीगण के पिता व पति भीखा का नाम शिकमी खातेदार 1/2 के रूप में दर्ज रेकार्ड है एवं तभी से भीखा एवं भीखा की मृत्यु के बाद वादीगण उस पर पिछले 60 वर्षो से काबीज होकर काश्त कर रहे है एवं वर्तमान में भी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जा काश्त मौजूद है। उपरोक्त खसरा नम्बरान के वक्त सेटलमेन्ट निम्न नये खसरा नम्बर कायम किये गये जो निम्नानुसार हैः—

पुराना नम्बर		हाल नम्बर	
खसरा नम्बर	रकब	खसरा नम्बर	रकबा (हे0)
1382	1 बीघा 01 बिस्वा	3895	0.11
1871	19 बिस्वा	4079	0.10
1872	01 बिस्वा	4078	0.02
1883	05 बिस्वा	4060	0.15
1884	07 बिस्वा	4054	0.18
3146 मी.			

3142 मी.	14 बिस्वा	4049	0.07
3146 मी.		4050	0.17
3146 मी.	1 बीघा 05 बिस्वा	4052	0.01
3146 मी.		4053	0.01
		4067	0.01
3147 मी.	1 बीघा 14 बिस्वा	4066	0.05
3147 मी.		4068	0.11
3149	09 बिस्वा	4063	0.08
3146 मी.		4064	0.12
3172	19 बिस्वा	4126	0.14
3431	09 बिस्वा	4523	0.09
3438	09 बिस्वा	4522	0.12
3439	11 बिस्वा	4521	0.09
3471	06 बिस्वा	4501	0.04
1800	03 बिस्वा	1852	0.11
1882	05 बिस्वा	4058	0.04
1873	02 बिस्वा	4077	0.02
3173	12 बिस्वा	4126	0.12
3428	16 बिस्वा	4473	0.16
3464	1 बीघा 06 बिस्वा	4513	0.20
3462	1 बीघा 12 बिस्वा	4581	0.24
3461	1 बीघा 04 बिस्वा	4582	0.22

रेवेन्यू अधिकारीयों से मिलकर उक्त खाता नाथू, कुरिया वल्द कचरू के साथ वादी के पिता व पति भीखा पुत्र श्री हीरा का नाम 1/2 भाग पर खातेदारी में दर्ज रेकर्ड करना आवश्यक था किन्तु नाथू व कुरिया की मृत्यु पर प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती का एकमात्र नाम उक्त खाते में At the back of the party जरिये नामान्तरकरण संख्या 1007 दिनांक 19.10.1986 को दर्ज कर दिया गया जबकि मौके पर स्व0 भीखा काबिज होकर काश्त कर रहा था। जिसके कब्जे को अनदेखा किया गया। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण अवैध होकर काबील निरस्ती को है एवं सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो नये खसरा नम्बरान 1952, 3895, 4050, 4052, 4053, 4054, 4059, 4060, 4063, 4064, 4066, 4067, 4068, 4077, 4078, 4079, 4176, 4127, 4473, 4501, 4513, 4521, 4522, 4523,4581, 4582 कुल खेत 26 कुल रकबा 2.62 हे0 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड किये गये एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बिना वादीगण की जानकारी के उपरोक्त खेतो में से खाता संख्या 103 (नया) 90 (पुराना) के खसरा नम्बरान 4052, 4053, 4054, 4063, 4066, 4068, 4079 कुल खेत 7 कुल रकबा 0.54 हे0 प्रतिवादी संख्या 2 को अवैधानिक रूप से विक्रय कर दिये जो विक्रय पत्र अवैध व शून्य होकर काबील निरस्ती के है क्योंकि मौके पर आज भी वादीगण की काश्त मौजूद है एवं वादीगण का पिछले 60 वर्षो से निरन्तर व निर्विघ्न कब्जा काश्त होने से वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सह खातेदार घोषित होने के पात्र है एवं उक्त खसरा प्रतिवादी संख्या 1 के खाता संख्या 103 (नया) 90 (पुराना) वादीगण को प्रतिवादीगण 1 के साथ सहखातेदार घोषित करने व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम जो विधि विरूद्ध जरिये नामान्तरकरण संख्या 1144 दिनांक 12.01.2008 के दर्ज रेकार्ड किया गया है को निरस्त किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 का न तो मौके पर कब्जा है एवं न ही उसने कभी काश्त की है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम खाते से निरस्तनीय है। प्रतिवादीगण 1 व 2 आये दिन वादीगण को शांतिपूर्ण काश्त में बाधा उत्पन्न करते है एवं धमकी देते है कि खाता हमारे नाम है खेत छोड़कर चले जाना। जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण 1 व 2 को माह सितम्बर 2009 में प्रतिवादीगण 1 के साथ खाते में वादीगण का नाम इन्द्राज करने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादीगण 1 भड़क गयी एवं कहने लगी कि तुम्हें हम खेती नहीं करने देंगे। जिस पर गांव के लोगो द्वारा काफी समझाईश पर प्रतिवादीगण 1 को समझाईश की उसके बाद भी प्रतिवादीगण 01 नहीं मान रहे है एवं कभी भी वादीगण को उक्त खसरा नम्बरान से जोर जबरदस्ती बेदखल कर अतिक्रमण कर सकते है। जिससे वादीगण को असीम क्षति होगी जिसका रूपयों में मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। जबकि प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व कब्जा मौके पर वादीगण का है एवं वादीगण प्रतिवादीगण 1 के साथ संयुक्त रूप से काबीज होकर काश्त कर रहे है। जिस कारण प्रतिवादीगण 1 को वादीगण की शांतिपूर्ण काश्त में बाधा व रूकावट उत्पन्न न करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करना आवश्यक है। वादीगण कानूनन उक्त खाता संख्या 103 (नया) 90 (पुराना)के कुल खेत 26 [illegible] 2.62 हे0 कुल लगान 39.22 रू0 वाके ग्राम डडूका तहसील गढ़ी के आ[illegible] के अधिकारी है जिस कारण विवादों की समाप्ती हेतु वादीगण का पृथक खाता कायम करना आवश्यक है एवं वादीगण का 1/2 भाग का पृथक खाता कर लगान का विभाजन करना आवश्यक है। खाता संख्या 103 (नया) 90 (पुराना) के खसरा नम्बरान [illegible], [illegible], 4050, 4052, 4053, 4054, 4059, 4060, 4063, 4064, 4066, 4067, 4068, 4077, 4078, 4079, 4176, 4127, 4473, 4501, 4513, 4521, 4522, 4523, 4581, 4582 कुल खेत 26 कुल रकबा 2.62 हे0 कुल लगान 39.22 रू0 वाके ग्राम डडूका पटवार क्षेत्र डडूका तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.) की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी नं. 1 के साथ सहखातेदार घोषित करने, प्रतिवादी सं. 02 का नाम खाते से निरस्त करने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री राजकुमार जैन, अभिभाषक का वकालतनामा पेश होकर प्रतिवादीगण के निवेदन पर उक्त वाद से सम्बन्धित अन्य वाद प्रकरण संख्या 117/2010 को इस प्रकरण में एमलगेट किया जाकर उस वाद को

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी का जवाब मानकर इस वाद के संलगन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद से सम्बन्धित अन्य वाद प्रकरण 117/2010 में निवेदन किया गया है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्ज़ा काश्त की खाता संख्या 103 नया, 90 पुराना जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 के अनुसार निम्न सर्वे नम्बर रकबा 2.62 हैक्टर लगानी 39.22 पैसा वाके गॉव डडुका पटवार हल्का डडुका तहसील गढी जिला बांसवाडा मे स्थित है। वादीगण अपनी काश्त की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते है एवं राज्य सरकार मे लगान अदा करते है। वादी नं. 2 ने वादी नं. 1 के खाता संख्या 103 नया. 90 पुराना रकबा 2.62 हैक्टर में से कुल सर्वे 7 कुल रकबा 0.54 हैक्टर भूमि बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीदी जिसका नाममान्तरण वादी 2 के हक मे नामान्तरण संख्या 1144 / 12.01.08 दर्ज हुआ। एवं उक्त भुमि के सर्वे नं. 4054 की भुमि के कुल रकबा 0.18 में से 0.05 भुमि को वादी नं. 2 द्वारा आबादी मे रूपान्तरित कराया गया। तभी से वादी नं. 2 उक्त सर्वे नम्बरान् मे अपनी काश्त की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता है एवं राज्य सरकार में लगान अदा करता है। वादी नं. 1 के खातेदारी के सर्वे नम्बरो का विवरण निम्नानुसार है

क. सं.	सर्वे नम्बर	रकबा हैक्टर में
1.	1952	0.02
2.	3895	0.11
3.	4050	0.17
4.	4059	0.04
5.	4060	0.15
6.	4064	0.12
7.	4067	0.01
8.	4077	0.02
9.	4078	0.02
10.	4126	0.14
11.	4127	0.12
12.	4473	0.16
13.	4501	0.04
14.	4513	0.20
15.	4521	0.09
16.	4522	0.12
17.	4523	0.09
18.	4581	0.24
19.	4582	0.22
	कुल	2.08

वादी नं. 2 के खातेदारी के सर्वे नम्बरो का विवरण निम्नानुसार है

क. सं.	सर्वे नम्बर	रकबा हैक्टर में
1.	4052	0.01
2.	4053	0.01
3.	4054	0.18

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

4.	4063	0.08
5.	4066	0.05
6.	4068	0.11
7.	4069	0.10
	कुल	0.54

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2023.12.31 16:33:58 IST
Reason: Attested
Signature Not Verified

वादीगण उक्त खेतो पर बहैसियत खातेदार कृषक के काबिज होकर काश्त करते है एवं राज्य सरकार को लगान अदा करते है तथा वादीगणो एवं उनके परिवार के सदस्यो की आजिवीका एवं भरण पोषण उक्त कृषि भूमि से कृषि करके चलती है। वादीगणो एवं उनके परिवार के सदस्यो की आजीविका का साधन उक्त कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई नही है। प्रतिवादीगण पिछले 1 वर्ष से वादीगण एवं उसके परिवार के सदस्य को उक्तखेतो में शान्ति पूर्वक काश्त में बाधा व रुकावट पैदा कर रहे हैं एवं नहर से सिचाई करने नहीं दे रहे हैं प्रतिदीगण, वादीया की कृषि भूमि जबरन खोसकर भगा देना चाहते है एवं इसी उदेश्य से आये दिन झगडा फसाद कर कृषि कार्य में बाधा या रुकावट पैदा करते है। उक्त वाद दर्ज होने के करीबन 1 माह पूर्व वादीगण उक्त खेतों में पानी पिलाने गया था कि प्रतिवादीगण एवं उसके परिवार के सभी लोग हम सलाह होकर हथियारो से लैस होकर गाली गलौच करते हुए खेतों की तरफ आयें। प्रतियादीगण को आता देख एवं जान का खतरा होने से वादीगण घर की तरफ दोडे तो प्रतिवादीगण, वादीगण का पिछा करने लगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त खेतो में खेती करने से रोकता हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त खेतो मे प्रवेश नही करने तथा खेती मे बाधा उत्पन्न नही करे एवं शांतिपूर्वक काश्त में किसी प्रकार की बाधा या रूकावट पैदा नही करे न किसी अन्य से करावे तथा जबरन खेत छिन लेने का कार्य नही करे न किसी अन्य से करावें इस बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं संलग्न दस्तावेजो तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद से सम्बन्धित अन्य वाद संख्या 117/2010 के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर वादी की साक्ष्य के रूप में गवाह PW-1 वेलजी पिता स्व. भीखा जाति भील निवासी डडूका व PW-2 पन्नालाल पिता बदिया जाति भील निवासी डडूका का शपथ–पत्र पेश कर संयुक्त रूप से कथन किया कि वादीगण के पिता व पति स्व. भीखा पुत्र श्री हिरा के कब्जे काश्त की कृषि भूमि कुल खेत 16 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम डडूका पटवार क्षेत्र डडूका तहसील गढी जिला बासंवाडा राजस्थान मे स्थित है। जिसके सेटलमेन्टी रेकार्ड मे वादीगण के पिता व पति भीखा का नाम शिकमी खातेदार 1/2 के रूप में दर्ज रेकार्ड है एंव तभी से भीखा एंव भीखा की मृत्यु के बाद वादीगण उस पर पिछले 60 वर्षो से काबीज होकर

काश्त कर रहे है एंव वर्तमान में भी वादीगण का प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जा काश्त मौजुद है रेवेन्यु अधिकारीयो से मिलकर उक्त खाता नाथु, कुरिया वल्द कचरू के साथ वादी के पिता व पति भीखा पुत्र श्री हिरा का नाम 1/2 भाग पर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड करना आवश्यक था किन्तु नाथु व कुरिया की मृत्यु पर प्रतिवादी सं. 1 श्रीमती केसर का एकमात्र नाम उक्त खाते में एकतरफा रूप से जरिये नामान्तरकरण सं. 1007 दिनांक 19.10.1986 को दर्ज कर दिया गया जबकि मौके पर स्व. भीखा काबीज होकर काश्त कर रहा था। जिसके कब्जे को अनदेखा किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण अवैध होकर काबील निरस्ती के है एंव सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो नये खसरा नम्बर कुल खेत 26 कुल रकबा 2.62 है0 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड किये गये एंव प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बिना वादीगण की जानकारी के उपरोक्त खेतो मे से कुल खेत 7 कुल रकबा 0.54 है. प्रतिवादी सं. 2 को अवैधानिक रूप से विक्रय कर दिया जो विक्रय पत्र अवैध व शून्य होकर काबील निरस्ती के है क्योकि मौके पर आज भी वादीगण की काश्त मौजुद है एंव वादीगण का पिछले 60 वर्षो से निरन्तर व निर्विघ्न कब्जा काश्त होने से वादीगण प्रतिकुल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित होने के पात्र है। वादीगण कानूनन उक्त खाते के आधे भाग के अधिकारी है जिस कारण विवादो की समाप्ती हेतु वादीगण का पृथक खाता कायम करना आवश्यक है एंव वादीगण का 1/2 भाग का पृथक खाता कर लगान का विभाजन करने हेतु निवेदन किया।

- **PW-1** वेलजी पिता स्व. भीखा जाति भील निवासी डडूका द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श कराये जो इस प्रकार है। खतोनी सेटलमेन्ट प्रदर्श–1, सन् 1945–46 खसरा गिरदावरी संवत 2015–17 प्रदर्श–2, फर्द मिलान प्रदर्श–3, जमाबन्दी संवत 2030–33 प्रदर्श–4, नामान्तरकरण प्रदर्श–5, जमाबन्दी संवत 2030–36 प्रदर्श–6, भू–प्रबन्ध विभाग की नकल प्रदर्श–7 है। गवाह वेलजी की जिरह प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा की जाने पर गवाह द्वारा कथन किया गया कि यह बात सही है कि प्रदर्श–1 में खातेदार नाथु, कुरिया विसरान् कचरू ही है। यह बात सही है कि प्रदर्श–4 जमाबन्दी में नाथु, कुरिया पिता कचरू ही दर्ज है। यह बात सही है कि प्रदर्श–5 जो मेने पेश किया है वह भी प्रतिवादी केसर के नाम का ही पेश किया है यह बात सही है कि मोटेशन के विरूद्ध वाद नहीं लगया है। अजखुद कहा कि केसर के वारिसान हम खुद है। यह बात सही है कि हम केसर के वारिस है एवं जमीन हमें मिलनी चाहिये इसलिये दावा नहीं लगाया है। यह बात सही है कि मुझे जमीन के सर्वे नम्बर याद नहीं है अजखुद कहा कि कुल 26 खेत है यह बात गलत है कि केसर का वारिस हरिशंकर है यह

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बात गलत है कि वादग्रस्त जमीन पर हमारा कोई अधिकार न हो। यह बात भी गलत है कि हमने जमीन [illegible] के लिये झूठा दावा पेश किया हो।

- PW-2 पन्नालाल [illegible] निवासी डडूका की जिरह द्वारा प्रतिवादी अभिभाषक [illegible] पर कथन किया कि मेरे पिता बदिया के पिता का नाम कुरिया था यह बात सही है कि बदिया के पिता का नाम कुरिया था जिसका मेने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। केसर के पति का नाम नाथु था यह बात गलत है कि नाथु के कोई भाई नहीं हो बल्कि कुरिया व भीखा थे। यह बात सही है कि नाथु की वंशावली भी हम नहीं लाये है मनजी मेरे काका का लड़का है यह बात गलत है कि केसर का वारिस हरिशंकर हो अजखुद कहा कि भीखा भी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरणों में दोनों पक्षो की बहस सूनी गई। बहस पर मनन करने व वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व वाद–पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजो तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय दस्तावेजो का अवलोकन किया जाकर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 01:– आया वादीगण के पिता व पति स्व0 श्री भीखा के कब्जे काश्त की वाद चरण संख्या 1 में वर्णित कुल खेत 16 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम डडूका स्थित में भीखा का नाम सेटलमेंन्टी खातें में शिकमी खातेदार 1/2 इर्ज रेकार्ड है जिस पर भीखा व भीखा की मृत्यु पर वादीगण पिछले 60 वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रहे है।

(वादीगण साबित करें)

वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत खतोनी सेटलमेंन्ट सन् 1945–46 प्रदर्श–1 जिसमें भीखा शिकमी दर्ज है। परन्तु उसके पश्चात भी भीखा शिकमी दर्ज रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या02:– आया वाद चरण संख्या 2 में वर्णित नये खसरा नम्बरान् कुल 26 रकबा 2.62 हे0 का खाता नाथू, कुरिया वल्द कचरू के साथ वादीगण के पिता व पति भीखा 1/2 भाग खातेदारी दर्ज रेकार्ड करना था। जो नाथू व कुरिया की मृत्यु पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अवैधानिक रूप से दर्ज रेकार्ड किये गये व कब्जे को अनदेखा किया गया।

(वादीगण साबित करें)

वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से में वादीगण के पिता भीखा का नाम दर्ज होने का कथन किया गया है। परन्तु वादग्रस्त भूमि खातेदार नाथु, कुरिया पिता कचरू के नाम दर्ज रिकार्ड थी तथा वादीगण के पिता भीखा शिकमी 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड थे। प्रदर्श–5 अनुसार नाथु के फोत होने पर नाथु की पत्नि केशर बेवा नाथु के नाम नामान्तरकरण

दर्ज होकर कुरीया (लाओलाद फोत) होने तथा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में वसीयत के आधार पर खाता दर्ज हुआ। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या03:—आया उक्त कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को कुल खेत 7 रकबा 0.54 हे0 अवैधानिक रूप से विक्रय किया जो अवैध व शून्य है। तथा मौके पर कब्जा वादीगण का है। अतः समस्त नामान्तरकरण काबिल निरस्ती के है।

(वादीगण साबित करें)

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा नियमानुसार खातेदार बनने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 02 को कुल खेत 7 रकबा 0.54 हे0 भूमि विक्रय की गई है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या04:—आया वादग्रस्त खसरा नम्बरान में वादीगण सहखातेदार घोषित होने के पात्र है।

(वादीगण साबित करें)

वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत खतोनी सेटलमेंन्ट सन् 1945—46 प्रदर्श—1 जिसमें वादीगण के पिता भीखा शिकमी दर्ज है। परन्तु भीखा इसके पश्चात भी शिकमी दर्ज रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या05:—आया वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरुद्ध वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।

(वादीगण साबित करें)

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोन से स्पष्ट होता है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार दर्ज रिकार्ड नहीं है। तथा तनकी संख्या 2, 3 भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित हुई है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या06:—आया वादीगण अपने 1/2 भाग का पृथक खाता कायम कराने के पात्र है।

(वादीगण साबित करें)

वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत खतोनी सेटलमेंन्ट सन् 1945—46 प्रदर्श—1 के अलावा अन्य ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादीगण के पिता भीखा शिकमी दर्ज रिकार्ड रहते आये हो। अतः उक्त तनकी भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHRAWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या07:—आया प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।

(प्रतिवादीगण साबित करें)

वादग्रस्त भूमि खातेदार नाथु, कुरिया पिता कचरू के नाम दर्ज रिकार्ड थी तथा वादीगण के पिता भीखा शिकमी 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड थे। प्रदर्श–5 अनुसार नाथु के फोत होने पर नाथु की पत्नि मु. केशर बेवा नाथु के नाम नामान्तरकरण दर्ज होकर कुरीया (लाओलाद फोत) होने तथा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में वसीयत के आधार पर खाता दर्ज हुआ। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 08 अनुतोष :—

प्रकरण में बकुलाय की बहस पर मनन् एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तथा संलग्न खतोनी सेटलमेंन्ट सन् 1945–46 प्रदर्श–1, वादीगण की साक्ष्य तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब, अभिलेख एंव निर्णित की गई तनकियात का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि वादी संख्या 01 ये 04 के पिता व वादी संख्या 05 के पति भीखा खतोनी सेटलमेंन्ट सन् 1945–46 प्रदर्श–1 में शिकमी खातेदार 1/2 दर्ज रेकार्ड थे। परन्तु उसके पश्चात् भी भीखा शिकमी खातेदार रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है अतः हल्का डडूका के मौजा डडूका की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 की खाता संख्या 111 (नई) 110 (पुरानी) कुल किता 19 रकबा 2.08.00 भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित होने के पात्र नही है। अतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:58 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

वादीगण का वाद अस्वीकार कर वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 23/2010

उनवान

(1) मनजीपुत्र स्व. श्री भीखा जाति भील निवासी डडूका तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(2) नानु पुत्र स्व. श्री भीखा जाति भील निवासी डडूका तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(3) वेलजी पुत्र स्व. श्री भीखा जाति भील निवासी डडूका तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(4) कन्हैयालाल पुत्र स्व. श्री भीखा जाति भील निवासी डडूका तह. गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

–: वादीगण

बनाम

(1) मृतका श्रीमती केसर पत्नि स्व. श्री नाथू जाति भील के वारिसानः–
1/1. हरीशंकर पिता धूलजी जाति आदिवासी निवासी डडूका तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(2) विरेन्द्र कुमार अहारी पुत्र हरिशंकर जाति भील निवासी डडूका तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(3) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

–:प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 15.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित [illegible] जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह [illegible] प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे [illegible]

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 15.10.2025 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner